न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखाण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

राजस्व वाद संख्या : 93/2019

वादीगण बनाम	**प्रतिवादीगण**
1. लालजीत सिंह पुत्र सुखमन्द्र सिंह जटसिख निवासी 9 एफ एफ बडोपल तहसील श्रीकरणपुर। 2. किरणदीप कौर पुत्री सुखमन्द्र सिंह जटसिख निवासी 9 एफ एफ बडोपल तहसील श्रीकरणपुर। 3.मनप्रीत कौर पत्नि लालजीत सिंह जटसिख निवासी 9 एफ एफ बडोपल तहसील श्रीकरणपुर। 4. परमपाल सिंह पुत्र हरमीत सिह जटसिख निवासी 9 एफ एफ बडोपल तहसील श्रीकरणपुर। 5. नसीब कौर पत्नि सुखमन्द्र सिंह जटसिख निवासी 9 एफ एफ बडोपल तहसील श्रीकरणपुर।	1. गुरदीप कौर पत्नि बलराज सिंह जटसिख निवासी 9 एफ एफ बडोपल तहसील श्रीकरणपुर। 2.गुरपाल सिंह पुत्र बलराज सिंह जटसिख निवासी 9 एफ एफ बडोपल तहसील श्रीकरणपुर। 3. रमनदीप कौर पुत्री बलराज सिंह जटसिख निवासी 9 एफ एफ बडोपल तहसील श्रीकरणपुर। 4.जलन्धर सिंह पुत्र जसवन्त सिंह जटसिख निवासी 9 एफ एफ बडोपल तहसील श्रीकरणपुर। 5.परविन्द्र सिंह पुत्र बूटा सिंह जटसिख निवासी 9 एफ एफ बडोपल तहसील श्रीकरणपुर। 6. बूटा सिंह पुत्र राम सिंह जटसिख निवासी 9 एफ एफ बडोपल तहसील श्रीकरणपुर। 7.भूपेन्द्र सिंह पुत्र गुरदित सिंह जटसिख निवासी 9 एफ एफ बडोपल तहसील श्रीकरणपुर। 8. हरजिन्द्र सिंह पुत्र गुरदित सिंह जटसिख निवासी 9 एफ एफ बडोपल तहसील श्रीकरणपुर। 9. हरमन्दर सिंह पुत्र राम सिंह जटसिख निवासी 9 एफ एफ बडोपल तहसील श्रीकरणपुर। 10.लवदीप सिंह पुत्र हरमन्दर सिंह जटसिख निवासी 9 एफ एफ बडोपल तहसील श्रीकरणपुर। 11.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

तारीख रजू:- 18.11.2021

उपस्थितः 1.श्री दलजीत सिंह बराड अधिवक्ता वादीगण

2.श्री राजेन्द्र रमाणा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 5,6,9,10

--निर्णय-- **दिनांकः** ३१/०१/२०२२

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद बाबत बंटवारा अंतर्गत धारा 53 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम चक 9 एफ एफ पटवार हल्का बडोपल भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 11/24 के मु.न. 2, 3, 5, 15,

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

16, 17, 37, 41, 42, 43, 45, 63/16 की कुल 64.772 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण का घरू बंटवारा हो चुका है। घरू बंटवारा अनुसार वादी एंव प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्सा की आराजी पर काबिज है। घरू बंटवारा अनुसार वादी संख्या 1 लालजीत सिंह को चक 9 एफ एफ के खाता संख्या 11/24 के मु.न. 37 के किला न. 1 ता 25 प्रत्येक सालम-सालम कुल 6.325 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 5 के किला न. 1 ता 5, 16, 17 सालम-सालम किला न. 18/1 के 0.109 हैक्टर कुल 1.880 हैक्टर कुल क्षेत्रफल 8.205 हैक्टर प्राप्त हुई वादी संख्या 2,3,4 को घरू बंटवारा अनुसार चक 9 एफ एफ के खाता संख्या 11/24 के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 19/2 के 0.035 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 45 के किला न. 3 के 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 6,7,8,13 ता 18,23,24,25 प्रत्येक सालम-सालम, किला न. 2 के 0.200 हैक्टर, किला नम्बर 9 के 0.200 हैक्टर किला नम्बर 12 के 0.203 हैक्टर, किला नम्बर 19 के 0.203 हैक्टर, किला नम्बर 22 के 0.203 हैक्टर कुल 4.273 हैक्टर एवं मु.न. 17 के किला नम्बर 16 के 0.253 हैक्टर कुल क्षेत्रफल 4.561 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि प्राप्त हुई। वादी संख्या 5 नसीब कौर को चक 9 एफ एफ बडोपल के खाता संख्या 11/24 के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 1 ता 25 प्रत्येक सालम-सालम कुल 6.325 हैक्टर नहरी, मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 18/2 के 0.144 हैक्टर, किला नम्बर 19/1 के 0.028 हैक्टर कुल क्षेत्रफल 6.497 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई। वादीगण प्रतिवादीगण उपर्युक्त घरू बंटवारा अनुसार अपनी-अपनी भूमि पर आज तक काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण व प्रतिवादीगण घरू बंटवारा अनुसार बंटवारा की डिक्री प्राप्त करना चाहते है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कहा कि वे घरू बंटवारा के अनुसार बंटवारा की डिक्री न्यायालय से जारी करवाए तो पहले वे आज-कल, आज-कल का कहकर टालमटोल करते रहे। आज से दो रोज पूर्व वादीगण ने प्रतिवादीगण से घरू बंटवारा के अनुसार बंटवारा डिक्री करवाने का कहा तो प्रतिवादीगण ऐसा करने से साफ इन्कार हो गए यही वाद कारण है। राज्य सरकार को जरिए तहसीलदार पक्षकार बनाया गया है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 1 लालजीत सिंह को चक 9 एफ एफ के खाता संख्या 11/24 के मु.न. 37 के किला न. 1 ता 25 प्रत्येक सालम-सालम कुल 6.325 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 5 के किला न. 1 ता 5, 16, 17 सालम-सालम किला न. 18/1 के 0.109 हैक्टर कुल 1.880 हैक्टर कुल क्षेत्रफल 8.205 हैक्टर का, वादी संख्या 2,3,4 को चक 9 एफ एफ के खाता संख्या 11/24 के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 19/2 के 0.035 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 45 के किला न. 3 के 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 6,7,8,13 ता 18,23,24,25 प्रत्येक सालम-सालम, किला न. 2 के 0.200 हैक्टर, किला नम्बर 9 के 0.200 हैक्टर किला नम्बर 12 के 0.203 हैक्टर, किला नम्बर 19 के 0.203 हैक्टर, किला नम्बर 22 के 0.203 हैक्टर कुल 4.273 हैक्टर एवं मु.न. 17 के किला नम्बर 16 के 0.253 हैक्टर कुल क्षेत्रफल 4.561 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि का, वादी संख्या 5 नसीब कौर को चक 9 एफ एफ बडोपल के खाता संख्या 11/24 के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 1 ता 25 प्रत्येक सालम-सालम कुल 6.325 हैक्टर नहरी, मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 18/2 के 0.144 हैक्टर, किला नम्बर 19/1 के 0.028 हैक्टर कुल क्षेत्रफल 6.497 हैक्टर भूमि का खाता अलग से तकसीम किया जाकर अलग से लगान कायम किये जाने के आदेश दिए जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 7, 8 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 5,6,9,10 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र रमाणा उपस्थित आए व जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम अनुसार चक 9 एफ एफ बडोपल की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 11/24 के मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 1 ता 25 प्रत्येक सालम-सालम, मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 6 ता 25 प्रत्येक सालम-सालम व 0.125 हैक्टर खाला कुल 18.975 हैक्टर नहरी भूमि का हम प्रतिवादीगण को खातेदार मालिक घोषित किया जाकर अलग से खाता कायम किया जाकर अलग से लगान कायम किया जावे। जवाब काउन्टर क्लेम पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 5,6,9,10 को वादपत्र व वादीगण को प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार है इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5,6,9,10 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5,6,9,10 अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5,6,9,10 के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम चक 9 एफ एफ पटवार हल्का बडोपल भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 11/24 के मु.न. 2, 3, 5, 15, 16, 17, 37, 41, 42, 43, 45, 63/16 की कुल 64.772 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5,6,9,10 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त, राजस्व रिकॉर्ड में हक हिस्से अनुसार दर्ज भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किए जावे। तथा शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

बहस उभय पक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 5,6,9,10 के अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद व प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस उभय पक्ष अधिवक्तागण एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 5,6,9,10 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना उचित समझते है।

-:आदेशः-

अतः माफिक बंटवारा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम चक 9 एफ एफ

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

पटवार हल्का बडोपल भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 11/24 के मु.न. 2, 3, 5, 15, 16, 17, 37, 41, 42, 43, 45, 63/16 की कुल 64.772 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5,6,9,10 के हक हिस्से की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु. न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	लालजीत सिंह पुत्र सुखमन्द्र सिंह हिस्सा 8.205 हैक्टर जटसिख निवासी 9 एफ एफ	9एफ एफ	5	1 ता 5	1.265 हैक्टर	नहरी	9.50
				16,17	0.506 हैक्टर	नहरी	3.80
				18/1	0.109 हैक्टर	नहरी	0.82
			37	1 ता 25	6.325 हैक्टर	नहरी	47.50
2	किरणदीप कौर पुत्री सुखमन्द्र सिंह 2.709 हैक्टर जटसिख निवासी 9 एफ एफ बडोपल, मनप्रीत कौर पत्नि लालजीत सिंह 1.582 हैक्टर जटसिख निवासी 9 एफ एफ बडोपल, परमपाल सिंह पुत्र हरमीत सिंह 0.271 हैक्टर जटसिख निवासी 9 एफ एफ बडोपल		5	19/2	0.035 हैक्टर	नहरी	0.26
			45	2/2	0.200 हैक्टर	नहरी	1.50
				3	0.228 हैक्टर	नहरी	1.71
				6 ता 8	0.759 हैक्टर	नहरी	5.70
				9/2	0.200 हैक्टर	नहरी	1.50
				12/2	0.203 हैक्टर	नहरी	1.52
				13 ता 18	1.518 हैक्टर	नहरी	11.40
				23 ता 25	0.759 हैक्टर	नहरी	5.70
				19	0.203 हैक्टर	नहरी	1.52
				22/2	0.203 हैक्टर	नहरी	1.52
			17	16	0.253 हैक्टर	नहरी	1.90
3	नसीब कौर पत्नि सुखमन्द्र सिंह 6.497 हैक्टर जटसिख निवासी 9 एफ एफ बडोपल		3	1 ता 25	6.325 हैक्टर	नहरी	47.50
			5	18/2	0.144 हैक्टर	नहरी	1.08
				19/1	0.028 हैक्टर	नहरी	0.21
4	परविन्द्र सिंह पुत्र बूटा सिंह 4.251 हैक्टर जटसिख निवासी 9 एफ एफ बडोपल, बूटा सिंह पुत्र राम सिंह 4.682 हैक्टर जटसिख निवासी 9 एफ एफ बडोपल, हरमन्दर सिंह पुत्र राम सिंह 9.182 हैक्टर जटसिख निवासी 9 एफ एफ बडोपल, लवदीप सिंह पुत्र हरमन्दर सिंह 0.810 हैक्टर जटसिख निवासी 9 एफ एफ बडोपल तहसील श्रीकरणपुर।		41	1 ता 25	6.325 हैक्टर	नहरी	47.50
			42	1 ता 5	1.140 हैक्टर	नहरी	8.56
				6 ता 25	5.060 हैक्टर	नहरी	42.05
			43	1 ता 5	1.140 हैक्टर	नहरी	8.56
				6 ता 25	5.060 हैक्टर	नहरी	42.05
					0.253 हैक्टर	गै.मु.खा.	0.0

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 31/01/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)